



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052022-235507
CG-DL-E-02052022-235507

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1935]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2022/वैशाख 12, 1944

No. 1935]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2022/VAISAKHA 12, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2022

का.आ. 2035(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.3145(अ) तारीख-05.08.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में NH-130A के कि.मी. 70.800 से कि.मी. 96.200 तक के भूखण्ड निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "14.08.2021" और 15.10.2021 को "दैनिक भास्कर" और "सेन्ट्रल क्रोनिकल" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में NH-130A के कि.मी. 70.800 से कि.मी. 96.200 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़		जिले का नाम: कबीरधाम			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पंडरिया				
	गांव का नाम: दशरंगपुर				
1	275/2	निजी	कृषि	0.035	मुनीराम, शिवकुमार पिता प्रेमलाल (275/2)
2	275/3	निजी	कृषि	0.105	मुनीराम, शिवकुमार पिता प्रेमलाल (275/3)
3	92/1	निजी	कृषि	0.006	फुलसिंह पिता रिपुसुदन (92/1)
4	94/1	निजी	कृषि	0.015	खोरबहरा पिता बसोहर (94/1)
	गांव का नाम: महली				
5	660/1	निजी	कृषि	0.008	संतोष पिता दुखित (660/1)
6	660/3	निजी	कृषि	0.008	झडुआ पिता जोद्धा (660/3)
7	660/4	निजी	कृषि	0.007	डोमन प्रसाद पिता भरतलाल (660/4)
8	683/1	निजी	कृषि	0.046	गंगाराम पिता केहरा (683/1)
9	711/1	निजी	कृषि	0.022	गंगाराम पिता केहरा

					(711/1(711/2,712))
	गांव का नाम: नवागांव हट्टा				
10	345	सरकारी	गैर कृषि	0.025	शासकीय भूमि (345)
11	346/3	निजी	कृषि	0.012	प्रेमलाल पिता तिजऊ (346/3)
12	346/4	निजी	कृषि	0.008	गोपाल पिता तिजऊ (346/4)
13	346/5	निजी	कृषि	0.008	धरम पिता तिजऊ (346/5)
14	346/6	निजी	कृषि	0.012	सीताराम पिता तिजऊ (346/6)
15	383/10	निजी	कृषि	0.06	विक्रम व कुंवर सिंह भागाबाई पुत्री कुंवर सिंह (383/10)
16	383/11	निजी	कृषि	0.084	सिताराम व. कुंवर सिंह अंजनीबाई पुत्री कुंवर सिंह (383/11)
17	383/2	निजी	कृषि	0.001	जानकीबाई जौ. रामकुमार (383/2)
18	412/1	निजी	कृषि	0.1	शिवप्रसाद पिता चनऊ (412/1)
19	412/3	निजी	कृषि	0.113	शिवप्रसाद पिता चनऊ (412/3)
20	486	सरकारी	गैर कृषि	0.067	शासकीय भूमि (486)
21	489, 490	निजी	कृषि	0.04	खोरबहरा पिता ढलगन (489,490)
	गांव का नाम: नवागांव कलां				
22	119	निजी	कृषि	0.031	परितोष पिता ओमप्रकाश (119)
23	120	सरकारी	गैर कृषि	0.009	छ.ग. शासन (120/1/ख)

24	29	निजी	कृषि	0.016	प्रयास पिता चंद्र कुमार (27(28/1,29))
25	30	निजी	कृषि	0.048	लालाराम पिता सीताराम (28/2(30))
26	8/1	निजी	कृषि	0.047	जयश्री पिता ओमप्रकाश (7(8/1))
27	8/2	निजी	कृषि	0.065	जामबाई पति लालजी प्रसाद (8/2)
			कुल	0.998	

[फा. सं. 12037/27/2016/CG/P-5/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd May, 2022

S.O. 2035(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 3145(E) Dated-05.08.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule below, is required for building (Widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.) Maintenance, management and operation of NH-130A on the stretch of land from Km 70.800 to Km 96.200 in the District of Kabirdham in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land.

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Dainik Bhaskar*” and “*central Chronicle*” dated-14.08.2021 and dated-15.10.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 70.800 to Km. 96.200 of the NH No.130A in the District of Kabirdham in the state of Chhattisgarh.

State: CHHATTISGARH District: KABIRDHAM					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/ Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Pandariya				
	Village: Dashrangpur				
1	275/2	Private	Agriculture	0.035	Muniram, Shivkumar S/o Premlal 275/2
2	275/3	Private	Agriculture	0.105	Muniram, Shivkumar S/o Premlal 275/3
3	92/1	Private	Agriculture	0.006	Phulsingh S/o Ripusudan 92/1
4	94/1	Private	Agriculture	0.015	Khorbahra S/o Basohar 94/1
	Village: Mahali				
5	660/1	Private	Agriculture	0.008	Santosh S/o Dukhit 660/1
6	660/3	Private	Agriculture	0.008	Jhadua S/o Jodhha 660/3
7	660/4	Private	Agriculture	0.007	Doman Prasad S/o Bharatlal 660/4
8	683/1	Private	Agriculture	0.046	Gangaram S/o Kehra 683/1
9	711/1	Private	Agriculture	0.022	Gangaram S/o Kehra 711/1(711/2,712)
	Village: Nawagaon Hataha				
10	345	Government	Non Agriculture	0.025	Govt. Land 345
11	346/3	Private	Agriculture	0.012	Premlal S/o Tijau 346/3
12	346/4	Private	Agriculture	0.008	Gopal S/o Tijau 346/4
13	346/5	Private	Agriculture	0.008	Dharam S/o Tijau 346/5
14	346/6	Private	Agriculture	0.012	Sitaram S/o Tijau 346/6
15	383/10	Private	Agriculture	0.06	Vikram, kunwar singh Bhagabai D/o Kunwar 383/10
16	383/11	Private	Agriculture	0.084	Sitaram , kunwar singh Anjanibai D/o Kunwar singh 383/11

17	383/2	Private	Agriculture	0.001	Jankibai jau. Ramkumar 383/2
18	412/1	Private	Agriculture	0.1	ShivPrasad S/o Chanau 412/1
19	412/3	Private	Agriculture	0.113	ShivPrasad S/o Chanau 412/3
20	486	Government	Non Agriculture	0.067	Govt. Land 486
21	489, 490	Private	Agriculture	0.04	Khorbahra S/o Dhalgan 489,490
Village: Nawagaon Kalan					
22	119	Private	Agriculture	0.031	Paritosh S/o Omprakash 119
23	120	Government	Non Agriculture	0.009	C.G Govt 120/1/अ
24	29	Private	Agriculture	0.016	Prayas S/o Chandra Kumar 27(28/1,29)
25	30	Private	Agriculture	0.048	Lalaram S/o Sitaram 28/2(30)
26	8/1	Private	Agriculture	0.047	Jayshri S/o Omprakash 7(8/1)
27	8/2	Private	Agriculture	0.065	Jambai W/o Laljiprasad 8/2
			TOTAL	0.998	

[F. No. 12037/27/2016/CG/P-5/3D]

RAJESH GUPTA, Director